Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 37-2026/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2026
(19 फाल्गुन, 1947 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग–I	**अधिनियम**	
	हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2025 (2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14)	165
	केवल हिन्दी में।	
भाग–II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग–III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग–IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 मार्च, 2026

संख्या लैज. 15/2026.– दि हरियाणा टैक्निकल एज्यूकेशन गेस्ट फैकल्टी (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) अमेन्डमेन्ट ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 05 मार्च, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 14

हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2025
हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 को आगे संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. यह अधिनियम हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) संशोधन अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम, 2024 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खण्ड (vii) की व्याख्या में, "एक कैलेण्डर वर्ष में" शब्दों के स्थान पर, "संविदात्मक सेवा की एक वर्ष की अवधि के दौरान" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2025 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:– 2025 के हरियाणा अधिनियम 2 की धारा 5 का संशोधन।

"(1) अतिथि संकाय, सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार पारिश्रमिक के हकदार होंगे। समेकित मासिक पारिश्रमिक में महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप प्रतिवर्ष प्रथम जनवरी और प्रथम जुलाई से वृद्धि की जाएगी।"।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12484—L.R.—H.G.P., Pkl.